

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी कैम्प कोर्ट खाराबेरा
पुरोहितान


पीठासीन अधिकारी अयूब खान आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 47/2016

दिनांक 15.06.2017

— :: आदेश :: —

प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट कैम्प खाराबेरा पुरोहितान में पेश कर निवेदन किया है कि अनवान अब्दूल कयुम बनाम सोनकी वगैरा अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 सीपीसी दिनांक 30.08.2016 को पेश किया गया था। जिसमें राजस्व वाद संख्या 171/2009 अनवान अब्दूल कयुम बनाम सोनकी वगैरा दिनांक 04.07.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने न्यायालय में गैर हाजिर रहने के माकुल कारण है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार राजस्व वाद अधिवक्ता गैर हाजिर होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें थे। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। तथा राजस्व वाद पुनः बरामद किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावें। आदेश आज मजमेआम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी लूणी